कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ–5/1121/2022/10–11/3411 भोपाल, दिनांक 28-6-24

प्रेषक :–

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः– ग्वालियर जिले में वेस्टर्न बायपास के निर्माण हेतु 42.83 हेक्टेयर वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ग्वालियर को उपयोग पर देने बाबत्। (प्रकरण क्रमांक/FP/MP/ROAD/149532/2021)

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक/6-MPR 015/2022-BHO/I/69018 दि. 02.04.2024

----0----

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आपने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 02 बिन्दुओं पर बिन्दुवार जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई बिन्दुवार जानकारी का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	It is reported that the SADA (Special Area Development Authority) has constructed a part of road involving area of around 0.6 ha after 1980. The documentary evidence of construction of road shall be submitted.	कार्यपालन यंत्री, साडा (काउण्टर मैग्नेट) ग्वालियर ने अपने पत्र दिनांक 18.04.2024 से जानकारी उपलब्ध कराई गई है, जो परिशिष्ट–1 में संलग्न है।
2	The concerned DFO shall submit Action Taken Report for violation of FCA, 1980 against the responsible person after determining the type of violation as per guideline Para 1.16 of the Handbook	वन मण्डलाधिकारी, ग्वालियर ने अपने पत्र दिनांक 10.06.2024 (छायाप्रति संलग्न) से अवगत कराया है कि SADA (Special Area Development Authority) द्वारा वर्ष 2002 से 2005 के बीच निर्माण की गई सड़क का प्रस्तावित भाग आरक्षित वन खण्ड कुलैथ एवं थर की बाहरी सीमा के आसपास से गुजरता है। चूंकि उक्त दोनों वनखण्ड रियासतकाल के आरक्षित वनखण्ड है। जिस कारण स्थल पर वनखण्ड सीमा की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। इसके साथ–साथ निर्मित सड़क में आने वाले ग्रामों में उपरोक्त दोनों स्थलों के राजस्व खसरे मिसिल बन्दोबस्त वर्ष 1939–40 में निजी/शासकीय (गैर वन भूमि) के रूप में दर्ज थे, छायाप्रति परिशिष्ट–2 संलग्न है।

-2-

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
2		मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक/230/सी.एस./04 दिनांक 24.07.2004 (छायाप्रति संलग्न परिशिष्ट–3) से प्राप्त निर्देशों के पालन में राजस्व/ वन विभाग द्वारा वन–राजस्व भूमि सीमा निर्धारण का कार्य प्रारंभ किया गया। जिसके अनुक्रम में वर्ष 2011 में राजस्व पटवारी मानचित्र पर वन सीमा अंकित कर वन सीमा का निर्धारण किया गया। जिसके पश्चात उपरोक्त मार्ग का प्रस्तावित भाग राजस्व पटवारी मानचित्र के अनुसार वन सीमा के अन्दर होना पाया गया। उपरोक्त परिस्थिति के कारण तत्समय कार्यालय द्वारा मार्ग निर्माण के संबंध में आवेदक विभाग के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

अतः प्रकरण में आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

28/06/24

(एच.एस. मोहन्ता)

पृ. क्रमांक/एफ–5/1121/2022/10–11/3412 भोपाल, दिनांक 28-6-24

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), ग्वालियर वृत्त, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
3. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, डी–81, गोविन्दपुरी, सचिन तेंदुलकर मार्ग, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

28/06/24

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल ग्वालियर

सेन्ट्रल नर्सरी, केप्टन रूप सिंह स्टेडियम के पास, सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म0प्र0)

Phone : 0751-2341166, Fax : 0751-2341166, E-Mail : dfotgwa@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 24 / 3162 ग्वालियर, दिनांक 10/06/2024

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
ग्वालियर वृत, ग्वालियर

विषय– ग्वालियर जिले में वेस्टर्न बायपास के निर्माण हेतु 42.83 हेक्टेयर वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ग्वालियर को उपयोग पर देने बावत्।
(Proposal No.: FP/MP/ROAD/149532/2021)

संदर्भ– 1–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक 6–एम.पी. आर. / 015 / 2022–बी.एच.ओ. / 69018 दिनांक 02.04.2024
2–अपर प्रधान मुख्य, वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ–5 / 1121 / 2022 / 10–11 / 1955 दिनांक 08.04.2024
3–आपका पत्र क्रमांक / मा.चि. / 24 / 1631 दिनांक 19.04.2024
4–आवेदक विभाग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ग्वालियर का पत्र क्रमांक / 20019 / 01 / 2018–वेस्टर्न बायपास / 13411 दिनांक 22.05.2024

विषयांकित प्रकरण में निवेदन है कि अपर प्रधान मुख्य, वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक / एफ–5 / 1121 / 2022 / 10–11 / 1955 दिनांक 08.04.2024 के संलग्न उपर्युक्त प्रकरण में भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक–1 से 02 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। उक्त जानकारी के संबंध में आवेदक विभाग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ग्वालियर द्वारा पत्र क्रमांक / 20019 / 01 / 2018–वेस्टर्न बायपास / 13411 दिनांक 22.05.2024 के संलग्न कार्यपालन यंत्री, साडा (काउण्टर मैग्नेट) ग्वालियर का पत्र क्रमांक / विक्षेविप्र / 2024 / 152 दिनांक 18.04.2024 इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि SADA द्वारा पश्चिम बायपास सड़क का 0 कि.मी. से 15.600 कि.मी. तक भाग का निर्माण कार्य वर्ष 2002 से 2005 के बीच पूर्ण किया गया था। उक्त सड़क में आने वाली भूमि निजी एवं शासकीय भूमि (गैर वन भूमि) होने के कारण वन विभाग की अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ी।

अतः उपरोक्तानुसार भारत सरकार द्वारा चाही गई 02 बिन्दुओं की जानकारी का बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार है :–

क.	भारत सरकार द्वारा चाही गई जानकारी	की गई पूर्ति
1	It is reported that the SADA (Special Area Development Authority) has constructed a part of road involving area of around 0.6 ha. after 1980. The documentary evidence of consturction of road shall be submitted.	उपरोक्त बिन्दु के संबंध में कार्यपालन यंत्री, साडा (काउण्टर मैग्नेट) ग्वालियर द्वारा पत्र क्रमांक / विक्षेविप्र / 2024 / 152 दिनांक 18.04.2024 से प्रेषित की गई जानकारी **परिशिष्ट–1** पर संलग्न है।
2	The concerned DFO shall submit Action Taken Report for violation of FCA, 1980 against the responsible person after determining the type of violation as per guidline para 1.16 of the Handbook.	SADA द्वारा वर्ष 2002 से 2005 के बीच निर्माण की गई सड़क का प्रस्तावित भाग आरक्षित वन खण्ड कुलैथ एवं थर की बाहरी सीमा के आसपास से गुजरता है। चूँकि उक्त दोनों वनखण्ड रियासतकाल के आरक्षित वनखण्ड है। जिस कारण स्थल पर वनखण्ड सीमा की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। इसके साथ–साथ निर्मित सड़क में आने वाले ग्रामों में उपरोक्त दोनों स्थलों के राजस्व खसरे मिसिल

		बन्दोवस्त वर्ष 1939–40 में निजी/शासकीय (गैर वन भूमि) के रूप में दर्ज थे। छायाप्रति **परिशिष्ट–2** पर संलग्न है। , मध्यप्रदेश शासन, मुख्य कार्यालय मंत्रालय भोपाल द्वारा पत्र कमांक 230/सी.एस./04 दिनांक 24.07.2004 (छायाप्रति **परिशिष्ट–3** पर संलग्न है) से प्राप्त निर्देशों के पालन में राजस्व/वन विभाग द्वारा वन–राजस्व भूमि सीमा निर्धारण का कार्य प्रारंभ किया गया। जिसके अनुकम में वर्ष 2011 में राजस्व पटवारी मानचित्र पर वन सीमा अंकित कर वन सीमा का निर्धारण किया गया। जिसके पश्चात् उपरोक्त मार्ग का प्रस्तावित भाग राजस्व पटवारी मानचित्र के अनुसार वन सीमा के अन्दर होना पाया गया। उपरोक्त परिस्थिति के कारण तत्समय कार्यालय द्वारा मार्ग निर्माण के संबंध में आवेदक विभाग के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

अतः प्रकरण में भारत सरकार द्वारा चाही गई जानकारी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

(अंकित पाण्डेय)
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल ग्वालियर

पृ0 कमांक/मा.चि./24/3163
ग्वालियर, दिनांक 10/06/2024

प्रतिलिपि –

1–अपर प्रधान मुख्य, वन संरक्षक (भू–प्रबंध), वन भवन, लंक रोड–2, तुलसी नगर, भोपाल की ओर आपके पत्र कमांक/एफ–5/1121/2022/10–11/1955 दिनांक 08.04.2024 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

2–आवेदक विभाग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ग्वालियर की ओर आपके पत्र कमांक/20019/01/2018–वेस्टर्न बायपास/13411 दिनांक 22.05.2024 के संदर्भ में सूचनार्थ।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल ग्वालियर

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
परियोजना कार्यान्वयन ईकाई : डी–81, गोविन्दपुरी, सचिन तेन्दुलकर मार्ग, ग्वालियर (म. प्र.)–474011
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
Project Implementation Unit : D-81, Govindpuri, Sachin Tendulkar Marg, Gwalior (M.P.)-474011
फोन/Phone : 0751-2231485, ई–मेल/E-mail : gwalior@nhai.org; nhaigwalior@gmail.com

सत्यमेव जयते

भा रा रा प्रा NHAI

BHARATMALA ROAD TO PROSPERITY

File No. 20019/01/2018-Western Bypass/ 13411 — Date 22.05.2024

To,

The Divisional Forest Officer-Gwalior
Central Nursery, near Captain Roop Singh Stadium
City Centre Gwalior (MP)
Email: dfotgwa@mp.gov.in

Sub: Preparation of Detailed Project Report for Construction of Bypass on Western Side of Gwalior City in the State of Madhya Pradesh - ***Compliance to the Observations in the Forest clearance proposal (Proposal No. FP/MP/Road/149532/2021)-Reg.***

Ref.:

1. CCF, Gwalior letter no. 1631 dated 19.04.2024
2. MoEF&CC letter no.69018 dated 02.04.2024.

Sir,

This is in reference to the observation raised in the subject captioned proposal as per the REC meeting held on 12.03.2024 vide MoEF&CC letter dated 02.04.2024 and forwarded to this office vide CCF, Gwalior letter dated 19.04.2024.

2. The para wise compliance to the obesrvations pertaining to this office raised by MoEF&CC is as under:-

Sr.No.	Observations	Reply
1	It is reported that the SADA (Special Area Development Authority) has constructed a part of road involving area of around 0.6 ha after 1980. The documentary evidence of construction of road shall be submitted.	The details were sought by this office from SADA, Gwalior vide letter dated 21.03.2024 with regards to Construction of the road by SADA. SADA Gwalior vide their letter dated 18.04.2024 has confirmed that the Construction of the existing road in the SADA, Region was carried out by SADA, Gwalior in year 2002-2005. Copy of the letter is enclosed.

3. In view of the above, the compliance to the observations raised by MoEF&CC is being submitted herewith for kind consideration and further necessary action in the proposal. It is earnestly requested that an early action may please be taken in the matter, so that Forest Clearance is granted to NHAI and work of Western Bypass of Gwalior can be taken up at the earliest.

Encl: As above

Project Director
NHAI, PIU-Gwalior(M.P.)

3307
06/06/2024

Copy To:

1. PCCF(LM)- Bhopal for kind information and necessary action please.
2. APCCF (LM)-Bhopal for kind information and necessary action please.
3. Regional Officer, NHAI, Jabalpur for kind information please.
4. CCF, Gwalior for kind information and necessary action please.

कार्यालय विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (माधवराव काउण्टर मैग्नेट)

शीतला सहाय प्रशासनिक भवन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, सौजना -- तिघरा, ग्वालियर (म.प्र.)

कमांक / विक्षेविप्र / 2024-/182 ग्वालियर दिनांक 18/04/2024

प्रति,

प्रोजेक्ट डायरेक्टर,
एन.एच.ए.आई. (पीआईयू),
ग्वालियर, म0 प्र0

विषयः-- Existing सड़क की Comstruection detail बावत् ।

संदर्भः-- आपका पत्र /NHAI/PIU-Gwl/2019/03/2018- Western bypass/12182 दिनांक 07.01.24 ।

विषयांतर्गत लेख है कि पश्चिमी बायपास सड़क के 0 किमी से 15.600 किमी तक साडा द्वारा वर्ष 2002 से 2005 के बीच निर्माण कार्य पूर्ण किया गया। उक्त सड़क में आने वाली निजी एवं शासकीय भूमि है। वन विभाग से कोई भूमि नहीं ली गयी। इसलिये वन विभाग की Clearance की आवश्यकता नहीं पड़ी। तदनुसार पश्चिमी बायपास के संबंध में चाही गयी जानकारी आपकी ओर अग्रेषित।

कार्यपालन यंत्री
साडा (काउण्टर मैग्नेट)
ग्वालियर

खसरा

मौजा [illegible] तहसील [illegible] जिला [illegible]

नम्बर हाल व नम्बर खेत	नम्बर साबिक	रकबा	किस्म जमीन / हार	नाम चक या पट्टी	नाम मालिक	नम्बर खाता खातेदारी	नाम काश्तकार मय वल्दियत, कौमियत, सकूनत, कौमियत व मुद्दत काश्त	नाम शिकमी काश्तकार मय वल्दियत, कौमियत व सकूनत	लगान काश्तकार असली	शरह लगान काश्तकार शिकमी
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
२०१	१७४	३६/९		परती [illegible]	[illegible] रहनम्बर १	२४८				
२०२	१७५	९/४	पुखादो	पराट सदर	पराट सदर	२२८	[illegible] पराट नम्बर १७ [illegible]		२॥।	
२०३	१७६	९/४	पुखादो	पराट सदर	पराट सदर	२२८	[illegible] ११ साल		[illegible] १॥)	
२०४	१७७	॥/२	पुखादो	पराट सदर	पराट सदर	२२४	इनामदार [illegible] रहनम्बर ४३ [illegible] मुद्दत १ साल		[illegible] ४३	परती
२०५	१७८	१/	पुखादो	परती [illegible]	[illegible] नम्बर १६०	२२३	[illegible] नम्बर १७ [illegible] मुद्दत ३ साल			
२०६	१७९	१॥।/२	पुखादो	पराट सदर	पराट सदर	३३३	पराट सदर [illegible] ३ साल			
२०७	१८१	३॥/२	पुखादो	०	[illegible] नम्बर २०	२८८	[illegible] नम्बर १२७ [illegible]		माफी	
२०८	१८२	३/४		[illegible]	[illegible] नम्बर ३	२७७				
		[illegible]							[illegible]	

बाबत सम्वत १९९८

किस्म	खरीफ रकबा आबपाशी	खरीफ रकबा गैर आबपाशी	आबपाशी	गैर आबपाशी	रबी किस्म	रबी रकबा आबपाशी	रबी रकबा गैर आबपाशी	आबपाशी	गैर आबपाशी	किस्म	आबपाशी	गैर आबपाशी	आबपाशी	गैर आबपाशी	[illegible]	[illegible]	कैफियत
१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१
															उमर	१६/९	
					चना / अलसी		१९३ / १९										
					गेहूंचना		१४										
					चना		११२										
					चना		११९								[illegible] कदीम	६४	
					चना / मसूर		११४ / ६१								पड़त कदीम	१॥	
					गेहूंचना / मासो	२१४ / ६२											[illegible]
															परती मसूर	३/४	
						२१०१	४११									३६॥।	

गोजह दरबार प्रेस, ग्वालियर.

खसरा मौजा [illegible] तहसील [illegible] जिला [illegible] बाबत सम्वत १९९०

नम्बर हाल मय नाम खेत	नम्बर साबिक	रकबा	किस्म जमीन	नाम थोक या पट्टी	नाम मालिक	नम्बर खाता	नाम काश्तकार बकैद वल्दियत, कौमियत, सकूनत, मौरूसी	नाम शिकमी काश्तकार बकैद वल्दियत, कौमियत व सकूनत	लगान काश्तकार असली	तादाद लगान काश्तकार असली	लगान काश्तकार शिकमी मय तादाद	खरीफ जिन्स	रकबा आबपाशी	गैर आबपाशी	रकबा चाहा आबपाशी	गैर आबपाशी	रबी जिन्स	रकबा आबपाशी	गैर आबपाशी	रकबा चाहा आबपाशी	गैर आबपाशी	जायद जिन्स	रकबा आबपाशी	गैर आबपाशी	रकबा आबपाशी	गैर आबपाशी	तफसील आराजी गैर मजरूआ	रकबा
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०
८९	७३/२	७।४	पुख्ता	पट्टी लालाराम	हरवीर प्रसाद नम्बर ६२	६२																					पड़त कदीम	७।४
९०	७३/२	७।४	पुख्ता	पट्टी सदर	पट्टी सदर	६२																					पड़त कदीम	७।४
९१	७३/२	९।।/९	पुख्ता	पट्टी महावीरप्रसाद	महावीरप्रसाद नम्बर १	२४२																					पड़त कदीम	९।।/९
९२	७४/२	६।।/१		पट्टी सदर	पट्टी सदर	२४२																					ऊसर	६।।/१
९३	७४/२	७।।/३		पट्टी लालाराम	हरविलास नम्बर ६२	६२																					ऊसर	७।।/३
९४	७५	२।।।/४		पट्टी सदर	पट्टी सदर	६२																					ऊसर	२।।।/४
९५ कांसा	७६ ९०	७।/९	ऊसर	पट्टी महावीरप्रसाद	महावीरप्रसाद नम्बर १	२४१																					पड़त जदीद रसात	७।९
९६ पोखर	७७ ९५ ९६	९।।।/९	ऊसर	पट्टी सदर	पट्टी सदर	२४१																					पड़त जदीद १ साल	९।।।/९
८	१९।४																											१९।४

सत्य प्रतिलिपि

(हस्ताक्षर) 20.05.24

प्रतिलिपि अधिकारी

खसरा मौजा जिगसोली तहसील भिंड जिला भिंड बाबत सम्वत १९९८

नम्बर खेत: का नं० बन्दोबस्त	नम्बर हालिया	रकबा	किस्म: हार. / किस्म जमीन	नाम थोक या पट्टी	नाम मालिक	नम्बर खाता कब्जादारी या खतौनी	नाम काश्तकार मय वल्दियत, कौमियत, सकूनत, मौरूसी व दूसरा कायम	नाम शिकमी काश्तकार मय वल्दियत, कौमियत व सकूनत	लगान काश्तकार मौरूसी	शरह लगान काश्तकार शिकमी	लगान काश्तकार शिकमी मय शरह
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
८१ बाग	६४/१	२/१	पडुवारी	पड़ी उजाड़	मुस्लमान पती पड़ी नम्बर ७८	२८					
८२	६६	१॥।/१		पड़ी महावीरसरन	[illegible]	२५८					
८३	६७	।/४	पडुवारी	पशरह सदर	पशरह सदर	२४२					
८४	६८	।/	पडुवारी	पशरह सदर	पशरह सदर	२४२					
८५	६९	।/३	पडुवारी	पशरह सदर	पशरह सदर	२४२					
८६	७०	।/४	पडुवारी	पशरह सदर	पशरह सदर	२४२					
८७	७१	।/४	पडुवारी	पशरह सदर	पशरह सदर	२४२					
८८	७२/१	।/४	पडुवारी	पशरह सदर	पशरह सदर	२४२					
८		११॥।/१									

नम्बर खेत	खरीफ: जिन्स	खरीफ रकबा: आबपाशी	खरीफ रकबा: गैर आबपाशी	खरीफ रकबा आयन्दा: आबपाशी	खरीफ रकबा आयन्दा: गैर आबपाशी	रबी: जिन्स	रबी रकबा: आबपाशी	रबी रकबा: गैर आबपाशी	रबी रकबा आयन्दा: आबपाशी	रबी रकबा आयन्दा: गैर आबपाशी	आयद: जिन्स	आयद रकबा: आबपाशी	आयद रकबा: गैर आबपाशी	रकबा दुफसली: आबपाशी	रकबा दुफसली: गैर आबपाशी	अलावा रकबा मज़रूआ के गैर मज़रूआ मय तफसील	रकबा	कैफियत
	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१
८१																बागात मकबरा	२/१	
८२																ऊसर	१॥।/१	
८३																पड़त कदीम	।/४	
८४																पड़त कदीम	।/	
८५																पड़त कदीम	।/३	
८६																पड़त कदीम	।/४	
८७																पड़त कदीम	।/४	
८८																पड़त कदीम	।/४	
																	११॥।/१	

शासकीय कार्य हेतु

नकल प्रतिलिपि [illegible]

8428
20.05.21

प्रेस, ग्वालियर

खसरा मौजा ढुलैप तहसील म. जिला गोहद

बाबत सम्वत १९९८ १५८

नम्बर साबिक	रकबा	किस्म जमीन	नाम थोक या पट्टी	नाम मालिक	नम्बर खाता आसामी मय खतौनी	नाम काश्तकार बकैद वल्दियत, कौमियत, सकूनत, मौरूसी व मुद्दत काश्त	नाम शिकमी काश्तकार बकैद वल्दियत, कौमियत व सकूनत	लगान काश्तकार असली	शरह लगान काश्तकार असली	लगान काश्तकार शिकमी मय शरह
२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
२५८	१६/			रैय्यतवारी	२२५					
२५९	१६/			बशरत सदर	२२५					
२६०	१६/			बशरत सदर	२२५					
२६३	१६/			बशरत सदर	२२५					
२६२	१६/			बशरत सदर	२२५					
२६४	१६/			बशरत सदर	२२५					
२६६	१६/			बशरत सदर	२२५					
२६५	१६/			बशरत सदर	२२५					
	१२८/									

आसामी आबपाशी	खरीफ: जिन्स	खरीफ रकबा: आबपाशी	खरीफ रकबा: गैर आबपाशी	खरीफ रकबा नाबूद: आबपाशी	खरीफ रकबा नाबूद: गैर आबपाशी	रबी: जिन्स	रबी रकबा: आबपाशी	रबी रकबा: गैर आबपाशी	रबी रकबा नाबूद: आबपाशी	रबी रकबा नाबूद: गैर आबपाशी	जायद: जिन्स	जायद रकबा: आबपाशी	जायद रकबा: गैर आबपाशी	रकबा दुफसली: आबपाशी	रकबा दुफसली: गैर आबपाशी	तफसील आराजी गैर मजरूआ मुताबिक सालेजात मिलान खेवट: किस्म आराजी	तफसील आराजी: रकबा	कैफियत
१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१
																पड़त	१६/	
																पड़त	१६/	
																पड़त	१६/	
																पड़त	१६/	
																पड़त	१६/	
																पड़त	१६/	
																पड़त	१६/	
																पड़त	१६/	
																	१२८/	

Recd
20.05.24

खसरा मौजा [illegible] तहसील [illegible] जिला [illegible]

बाबत सम्वत १९९८

नम्बर हाल	नम्बर साबिक	रकबा	किस्म जमीन	नाम चोक या पट्टी	नाम मालिक	नम्बर खाता खतौनी	नाम काश्तकार मय वल्दियत, कौमियत, सकूनत, मौरूसी व मुद्दत काश्त	नाम शिकमी काश्तकार मय वल्दियत, कौमियत व सकूनत	लगान काश्तकार खतौनी	शरह लगान काश्तकार आराजी	लगान काश्तकार शिकमी मय शरह
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१६००	६३१/४	३४			स्यतनारी	१६८	भ्रमपाल [illegible] पुरस्ता मौलसी		[illegible]		
१६०१	३२४/२	२४११/१			नशरत सदर	[illegible]					
१६०२	३२८	१६/			नशरत सदर	२२५					
१६०३	२२०	१६/			नशरत सदर	२२५					
१६०४	२०८	१६/			नशरत सदर	२२५					
१६०५	२०८	१६/			नशरत सदर	२२५					
१६०६	३३०	१६/			नशरत सदर	२२५					
१६०७	३२८	१६/			नशरत सदर	२२५					
		१२५/									

नम्बर हाल	किस्म आराजी (२९)	रकबा (३०)
१६००	पहाड	३४
१६०१	पहाड	२४११/१
१६०२	पहाड	१६/
१६०३	पहाड	१६/
१६०४	पहाड	१६/
१६०५	पहाड	१६/
१६०६	पहाड	१६/
१६०७	पहाड	१६/
		१२५/

(Columns १३–२८: खरीफ, रबी, जायद, रकबा दुफसली — किस्म, आबपाशी, गैर आबपाशी, रकबा जायनादा — and column ३१ कैफियत are blank.)

मध्य प्रदेश शासन
मुख्य सचिव कार्यालय
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 230/CS/04 भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2004

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,

2. समस्त वनमंडलाधिकारी,
मध्यप्रदेश

विषय:- वन राजस्व भूमि का सीमांकन।

शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के समस्त जिलों में अगले 6 माह में अभियान चलाया जाकर वन-राजस्व भूमि सीमा निर्धारण अंतिम रुप से किया जाए। अत: आपसे अपेक्षा है कि जिले के क्षेत्रीय वन मंडलाधिकारी के साथ मिलकर एक कार्ययोजना बनाये जिसमें जिले के अंतर्गत जहां वन भूमि है, विवाद हो या न हो, राजस्व तथा वन विभाग की टीम संयुक्त रुप से उन स्थलों का निरीक्षण करे तथा दोनों विभाग अपने अपने अभिलेखों में स्थिति को अद्यतन करें तथा सीमा का निर्धारण करें। वन राजस्व सीमा निर्धारण के समय निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखा जाये:-

(1) म.प्र. वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 के अंतर्गत ग्रामवार जिन खसरा नंबरों का अंशत: या पूर्ण भाग आरक्षित या संरक्षित वन घोषित करने के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया है, क्या उनमें आरक्षित या संरक्षित वन के नोटिफिकेशन की कार्यवाही पूर्ण हो गई है ?

(क) यदि हाँ तो धारा 4 के अंतर्गत शेष बचे खसरा नंबरों को राजस्व विभाग को हस्तांरित करने की अधिसूचना प्रस्ताव यथाशीघ्र तैयार किया जाकर अधिसूचना जारी की जाये एवं तद्नुसार वन राजस्व विभाग के अभिलेखों में सीमा संशोधन करे ।

(ख) यदि नहीं तो वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अनुसार आरक्षित वन/संरक्षित वन घोषित करने की कार्यवाही पूर्ण की जाये तथा शेष बची भूमि को राजस्व विभाग को हस्तांतरित कर तदनुसार वन तथा राजस्व के अभिलेखों व नक्शों को संशोधित किया जाए ।

(2) विवादित ऑरेंज एरिया जिसका नोटिफिकेशन विधिवत् आरक्षित/संरक्षित वन के लिये नहीं हो सका है, में भी वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अनुसार आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने के लिये अधिसूचना जारी कराएं व शेष क्षेत्र को राजस्व विभाग को हस्तांरित करने की अधिसूचना जारी करायी जाये। तदुपरांत वन व राजस्व विभाग के अभिलेखों व नक्शों को संशोधित करें ।

(3) वन विभाग द्वारा समय-समय पर विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा वन क्षेत्रों को राजस्व विभाग को हस्तांरित किया गया है। (यथा अधिसूचना क्रमांक 3788-दस-2-75 दिनांक 25 अगस्त, 1975 जो मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 19.12.1975 में प्रकाशित है) उक्त अधिसूचनाओं के अनुरुप वन तथा राजस्व विभाग के अभिलेखों व नक्शों को संशोधित करें ।

(4) वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत भारत सरकार से अनुमति प्राप्त कर दिनांक 31.12.1976 तक की 85,250.71 हेक्टेयर अतिक्रमित भूमि पात्र अतिक्रामकों को व्यवस्थापित की गई थी। इन अभिलेखों का भी परीक्षण कर राजस्व तथा वन विभाग के अभिलेखों व नक्शों को संशोधित करें।

(5) उपरोक्तानुसार ही यदि अन्य प्रकरणों में भी वन तथा राजस्व विभाग द्वारा एक दूसरे को भूमियों का हस्तांतरण हुआ है, तो इन समस्त प्रकरणों के परीक्षणों उपरांत ही संबंधित ग्राम के राजस्व नक्शे में (मूल बंदोबस्त नक्शे की अनुरेखित प्रति में) वन राजस्व सीमा लाइन अंकित की जाय ।

(6) उपरोक्तानुसार तैयार ग्राम नक्शा मूलतः दो प्रतियों में तैयार कर उसका प्रमाणीकरण दोनो विभाग के अधिकृत अधिकारी संयुक्त रूप से पद मुद्रा सील सहित करें । यह नक्शा दो प्रतियों में तैयार किया जाय जिसकी एक-एक प्रति दोनो विभाग के जिला अभिलेखागार में सुरक्षित रखी जाय । इसी नक्शे के आधार पर पटवारी के चालू नक्शे में भी संशोधित कर प्रमाणीकरण कर लिया जाए ।

(7) वन क्षेत्र में उत्खनन लीज का नवीनीकरण कराया जाना कोई वेष्ठित अधिकार नहीं है। यदि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का उलंघन हो रहा है, तो ऐसे प्रकरणों में उत्खनन लीस का नवीनीकरण नहीं किया जाय ।

2/ इस कार्य के लिये समस्त कलेक्टर अपने जिले के एक उप जिलाध्यक्ष को नामांकित करें जो कि क्षेत्रीय वन मंडलाधिकारी के साथ मिलकर इस कार्य को गति देंगें। जिले की कार्य योजना उपरोक्त कंडिका-1 में चिन्हित किये गये बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुये तैयार की जाये, साथ ही योजना को क्रियान्वित करने के लिये दोनों विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण किये जाये।

3/ आप निम्न जानकारी प्रमुख सचिव, वन एवं राजस्व को एक सप्ताह के अंदर भेजें:-

(1) जिले में नामांकित उप जिलाध्यक्ष का नाम, दूरभाष क्रमांक (निवास एवं कार्यालय)

(2) वन मंडलवार योजना तैयार करने का दिनांक, योजना की कार्यवधि तथा योजना के क्रियान्वयन के लिये गठित किये गये दलों की संख्या।

4/ योजना के अनुसार कार्य प्रारंभ किया जाये तथा प्रत्येक माह के प्रगति प्रतिवेदन से निर्धारित संलग्न प्रारुप में प्रमुख सचिव, वन एवं राजस्व को अवगत करावेंगे, जो संकलित प्रतिवेदन मुझे प्रस्तुत करेंगे। समस्त जिले से कार्यवाही पूर्ण होने पर जिला कलेक्टर तथा वन मंडलाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से यह प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाएगा कि-

(1) जिलों में वन और राजस्व भूमि का सीमांकन हो गया है;
(2) दोनों विभागों की भूमि का अंतरण हो गया है;
(3) भूमियों के मध्य सीमांकन चिन्ह स्थापित कर दिये गये है; एवं
(4) भूमि अंतरण के संबंध में समस्त वैधानिक कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है और आवश्यक अधिसूचनाएं आदि जारी हो चुकी है।

प्रत्येक जिला कलेक्टर और वन मंडलाधिकारी सीमांकन के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाये, नियमित रूप से उसकी समीक्षा करे एवं प्रगति से अवगत कराये। राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव, वन और प्रमुख सचिव, राजस्व संयुक्त रूप से मॉनिटरिंग करें एवं जिस जिले से लगातार 2 माह तक कार्यवाही अधूरी रहे उन संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें।

(बी.के.साहा)
मुख्य सचिव

पृ.क्रमांक 231/CS/04 भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2004

प्रतिलिपि:-
प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन राजस्व/ वन विभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य सचिव

(1)

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग

क्रमांक एफ/25/83/2004/10–3

प्रति,

भोपाल, दिनांक 18-10-05

समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त वन मण्डलाधिकारी,
मध्य प्रदेश।

विषयः– वन राजस्व भूमि का सीमांकन।

संदर्भः– मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन का पत्र क्रमांक/230/सी.एस./04/दिनांक 24–7–2004।

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र द्वारा वन राजस्व भूमियों के सीमांकन के विषय में विस्तृत निर्देश जारी करते हुए निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन प्रेषित करने के निर्देश दिये गये हैं। इस पत्र द्वारा जारी किये गये निर्देशों के पालन की समीक्षा करने पर पाया गया कि सभी जिलों से निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तथा अनेक जिलों के लिए वन एवं राजस्व विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों में भिन्नता है।

2/ अतः यह निर्णय लिया गया है कि कलेक्टर एवं वन मण्डलाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्धारित प्रपत्र में प्रतिमाह प्रतिवेदन तैयार कर मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग तथा वन विभाग, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश भोपाल एवं आयुक्त भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर को भेजा जावेगा। प्रत्येक माहं का प्रतिवेदन उसके आगामी माह की 12 तारीख तक सर्व संबंधित को भेजा जाना सुनिश्चित करें।

3/. कृपया संदर्भित पत्र में निर्देशित कार्यवाही को निश्चित समय–सीमा में पूर्ण करावें एवं प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में उपरोक्त निर्णय के अनुसार संयुक्त हस्ताक्षर कर भेजा जाना सुनिश्चित करें।

4/ प्रस्तावित कार्यवाही की प्रगति की समीक्षा करने पर कार्य में आ रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु विस्तृत टीप संलग्न है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(इकबाल अहमद)
प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

(अवनि वैश्य)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
वन विभाग

पृ0 क्रमांक एफ/25/83/2004/10–3

भोपाल, दिनांक 18.10.2005

प्रतिलिपि–

त आवश्यक

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश, भोपाल।
2. आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर, मध्य प्रदेश।
3. समस्त संभाग आयुक्त, मध्य प्रदेश।
4. समस्त वन संरक्षक, मध्य प्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

2927
25-10-05

(सतीश त्यागी)
अपर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

(2)

वन–राजस्व भूमि सीमांकन

विधिक प्रावधान:–

- वन–राजस्व भूमि सीमांकन/सर्वेक्षण के पूर्व मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत भूमि, भूमि में निहित राज्य शासन के अधिकारों तथा भू–अभिलेखों में की प्रविष्टियों के बारे में सुनिश्चित उपधारणा को दृष्टिगत किया जाना आवश्यक होगा। इन्ही के साथ वन विभाग के अभिलेखों को भी आवश्यक महत्व दिया जायेगा।
- मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 57 (1) में यह स्पष्ट उल्लेख है कि समस्त भूमियां राज्य सरकार की हैं, तथा तदनुसार ही इस धारा में यह भी घोषित किया गया है कि समस्त ऐसी भूमियां जिसके अंतर्गत रूका हुआ धन तथा बहता हुआ पानी, खानें, खदानें, खनिज तथा वन चाहे वे आरक्षित हों या न हों तथा किसी भूमि की अधोमृदा में के समस्त अधिकार, राज्य सरकार की संपति है।
- मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 117 में यह उल्लेख है कि भू–अभिलेखों में की गई समस्त प्रविष्टियों के बारे में यह उपधारणा है कि वे सही है जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए। इसी संदर्भ में वन विभाग के अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज भूमियों को यथा स्थिति न्यायलयीन निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में मान्यता दी जायेगी।
- उक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में राजस्व नक्शे में वन सीमा लाइन का अंकन करने के पूर्व वन विभाग के नक्शे में दर्शाए गए वन खण्डों की सीमाओं के संबंध में प्रमाणिक दस्तावेज अर्थात गजट नोटिफिकेशन का होना चाहिए।

  सभी वन क्षेत्रों के प्रमाणित दस्तावेज अर्थात गजट नोटिफिकेशन उपलब्ध कराया जाना एक बहुत बड़ा कार्य है। अतः जिन वन क्षेत्रों के विषय में राजस्व विभाग एवं वन विभाग के मध्य में विवाद/असहमति हो ऐसे ही वनखंडों के नोटिफिकेशन प्राप्त कर कार्यवाही की जाये तो यह कार्य कम समय में किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में जहां अधिसूचना ब्लेंकेट रूप में है, वहां अन्य अभिलेखों को भी आधार अभिलेख मान्य किया जाना चाहिये।
- भारतीय वन अधिनियम 1927 में मुख्यतः दो प्रकार के वनों का उल्लेख है:–
  - आरक्षित वन (Reserved forest)
  - संरक्षित वन (Protected forest)
- भारतीय व अधिनियम 1927 की धारा 3 एवं 20 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी प्रस्तावित वन क्षेत्र वेस्ट लैण्ड (शासकीय भूमि) को आरक्षित वन घोषित करती है।
- आरक्षित वन क्षेत्र घोषित करने के लिये वन क्षेत्र अधिनियम 1927 की धारा 4 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावित वन क्षेत्र की अधिसूचना जारी की जाती है। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2, भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचित प्रस्तावित वन क्षेत्र को भी वन मान्य करती है।
- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के प्रावधानों के अंतर्गत संरक्षित वन की अधिसूचना जारी की जाती है।

  उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में किसी भी ग्राम के नक्शे (राजस्व नक्शे) में यथा स्थिति निम्न चार प्रकार की वन सीमा लाइन अंकित की जाए:–
  - आरक्षित वन सीमा लाइन (भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 की अधिसूचना के आधार पर) – नीले रंग से

- संरक्षित वन सीमा लाइन (भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 की अधिसूचना के आधार पर) – हरे रंग से
- प्रस्तावित वन सीमा लाइन (भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 की अधिसूचना के आधार पर) – लाल रंग से
- अन्य वन क्षेत्र (नारंगी क्षेत्र व अन्य परिभाषित वन आदि) – नारंगी रंग से

- राजस्व नक्शों में उपरोक्तानुसार वन सीमा लाइन का अंकन एक समय–सीमा में किया जा सके इसके लिए वन विभाग द्वारा प्रत्येक जिले में स्थिति वन–खण्डों/ वन क्षेत्रों की अधिसूचनाओं को संकलित कर लिया जाय तथा इसकी एक प्रति कलेक्टर को उपलब्ध करायी जाय। साथ ही वन विभाग द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 34 (अ) के प्रावधानों के अंतर्गत जिन वन क्षेत्रों को आगे ' वन क्षेत्र ' नही रहने संबंधी अधिसूचनाए जारी की गयी है, को भी संकलित कर इसकी एक प्रति संबंधित कलेक्टरों को उपलब्ध करायी जाय। ताकि तदानुसार राजस्व अभिलेखों को संशोधित किया जा सके। हालॉकि इस संबंध मे आयुक्त भू–अभिलेख कार्यालय द्वारा मध्य प्रदेश शासन वन विभाग द्वारा वन अधिनियम 1927 की धारा 32 (अ) के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी अधिसूचनाओ की प्रति संबंधित कलेक्टरों को विधि एवं प्रकियानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया गया है।

धारा–34 (अ) की अधिसूचनाओं के आधार पर यह स्थिति भी ज्ञात किया जाना चाहिये कि इन अधिसूचनाओं के माध्यम से निर्वनीकृत किये हुऐ कितने क्षेत्र राजस्व विभाग को अंतरित हो गये हैं, कितने क्षेत्र अंतरण हेतु शेष है तथा कितने क्षेत्र अंतरण के पूर्व धारा–4 में अधिसूचितहो गये हैं। इन अधिसूचनाओं के आधार पर आज की स्थिति में निर्वनीकृत वन भूमि के अन्तरण की कार्यवाही आगामी निर्देश तक नहीं की जायेगी।

इस जानकारी के आधार पर अलग–अलग जिलों में हुई अलग–अलग कार्यवाही एवं जमीनी स्थिति के अनुसार वैधानिक प्रावधानों कें संदर्भ में परीक्षण कर राज्य शासन स्तर से अग्रिम कार्यवाही के निर्देश जारी करने की कार्यवाही की जायेगी। इस हेतु जिलाध्यक्ष तथा वन मंडलाधिकारी से संयुक्त हस्ताक्षरित प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्णय राज्य शासन स्तर पर किया जायेगा।

वन–राजस्व सीमा विवाद निराकरण हेतु विधिक प्रावधानः–

- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तावित वन से सरंक्षित वन घोषित करने तक की विधिक प्रकियाओं को पूर्ण करने के लिए "वन व्यवस्थापन अधिकारी" नियुक्त करने का प्रावधान है। राज्य शासन द्वारा इन्ही शक्तियों का प्रयोग करते हुए सन् 1988 से प्रदेश के समस्त अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) को "वन व्यवस्थापन अधिकारी" के रूप मे कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है।
- भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 17 मे यह उल्लेख है कि 'वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्व अपील राजस्व विभाग के कलेक्टर से अनिम्न पंक्ति के ऐसे अधिकारी के समक्ष हो सकेगा जिसे राज्य सरकार ऐसे ओदश के विरूद्व अपील की सुनवाई के लिये राजपत्र मे अधिसूचना द्वारा नियुक्त करें।' राज्य शासन द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग करते हुये अधिसूचना कमांक 10287–3769–10–64 जो मध्य प्रदेश राजपत्र भाग–1 दिनांक 20.11.64 पृष्ठ 2765 मे प्रकाशित है, द्वारा जिलाध्यक्षों /कलेक्टरों को अपने क्षेत्रान्तर्गत अपील सुनने के लिए प्राधिकृत किया गया है।
- शासन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे कि वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत अधिसूचित ऐसे समस्त प्रस्तावित वन क्षेत्र जिनमे आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र घोषित की कार्यवाही प्रचलित है वह कार्यवाही अधिकतम तीन माह की समय सीमा मे पूर्ण कराई जावे।

बाद आरक्षित वन / संरक्षित वन घोषित करने के पश्चात् भी अधिसूचित प्रारस्तावित वन क्षेत्र शेष बचता है, तो ऐसी समस्त भूमियो को वन की परिभाषा मे मुक्त करने का प्रस्ताव वन विभाग द्वारा तैयार किय जाकर राज्य शासन के माध्यम से केन्द्र शासन को प्रेषित किया जाए। केन्द्र शासन की स्वीकृति उपरान्त ऐसी भूमियों की प्रविष्टि राजस्व अभिलेख मे की जाए।

- वन व्यवस्थापन अधिकारियों को वन विभाग की ओर समस्त जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सम्बन्धित क्षेत्र के वन परिक्षेत्र अधिकारी (क्षेत्रीय) को नोडल अधिकारी बनाया जाए तथा राजस्व विभाग की ओर से समस्त जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सम्बन्धित तहसीलदार को नोडल अधिकारी बनाया जाए।
- राजस्व नक्शे मे वन राजस्व सीमा लाइन निर्धारण पश्चात् वन क्षेत्र के अन्दर पाए जाने वाले समस्त कृषि पट्टे, आवासीय पट्टे तथा उत्खनन पट्टे तत्काल सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जाए।
- वन–राजस्व सीमा विवाद निराकरण मे "वन व्यवस्थापन अधिकारी" तथा "वन व्यवस्थापन अधिकारी के अपीलीय अधिकारी" को तकनीकी मार्गदर्शन हेतु संबंधित क्षेत्रीय संभाग आयुक्त, मुख्य वन संरक्षक(भू–सर्वेक्षण/भू–प्रबंधन) तथा आयुक्त भू–अभिलेख सहित तीन सदस्यीय एक समिति का गठन किया जा सकता है जो आवश्यक पड़ने पर समस्त अधिकारी/प्रकिया मे तकनीकी मार्गदर्शन /सुझाव दे सकेगी।

वन–राजस्व सीमा विवाद निराकरण व्यवहारिक कार्यवाही:–

वन खण्डों की अधिसूचना की जानकारी:–

- वन विभाग द्वारा जिलेवार यह जानकारी वन खण्डवार तैयार की जाय कि भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के अनुसार ग्रामवारा/खसरावार किन–किन क्षेत्रो को वन के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है। इनमें से कितने क्षेत्र को आरक्षित वन के रूप मे अधिसूचित किया गया है तथा कितना क्षेत्र अभी प्रस्तावित वन क्षेत्र के रूप मे शेष रह गया है। शेष कितना क्षेत्र वन अधिनियम 1927 की धारा 34 (अ) के प्रावधानों के अंतर्गत वन क्षेत्र से पृथक कर दिया गया है।

सर्व प्रथम वन विभाग एवं राजस्व विभाग के अभिलेखों के अनुसार भिन्नता वाले वन क्षेत्रों के लिए निम्न प्रपत्र में जानकारी वन विभाग द्वारा तैयार राजस्व विभाग को उपलब्ध कराये जिससे कि उसके अनुसार अग्रिम कार्यवाही हो सके।

(अ) आरक्षित वन खण्ड जिनके खसरा कमांक उपलब्ध नहीं है

आरक्षित वनखण्ड का नाम	सीमा से लगे ग्राम	तहसील	अधिसूचना का कमांक	अधिसूचित क्षेत्रफल	सीमा का विवरण
1	2	3	4	5	6

(ब) आरक्षित एवं संरक्षित वनखण्ड जिनके खसरा कमांक उपलब्ध है

वनखण्ड का नाम	आरक्षित/ संरक्षित	सम्मिलित ग्राम का नाम	तहसील	खसरा कमांक	खसरे का कुल क्षेत्रफल	वनखण्ड मे शामिल क्षेत्रफल	वनखण्ड के बाहर किया गया क्षेत्र	
							खसरा क.	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(5)

- उपरोक्तानुसार तैयार जानकारी के आधार पर राजस्व विभाग अपने नक्शे को अद्यतन करें।
- जिन वन खण्डो में आरक्षित या संरक्षित वन अधिसूचित करने की कार्यवाही पूर्ण नहीं की गई है, वहां वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही वन विभाग द्वारा पूर्ण कराई जाए तथा वन खण्वार अभिलेख एवं नक्शें तैयार किया जाए।

वन–राजस्व भूमि सीमांकन कार्य की कार्य आयोजना :–

- विषयांकित प्रकरण में ही कार्यालय मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी पत्र दिनांक 24–07–2004 की कंडिका–एक में उल्लेखित बिन्दुओं उक्त वर्णित तथ्यों तथा अन्य संबंधित क्षेत्रीय समस्याओं का अवलोकन करते हुए प्रत्येक जिले की कार्य योजना तैयार की जाय। कार्य योजना की एक–एक प्रति मध्यप्रदेश शासन वन/राजस्व विभाग तथा एक प्रति आयुक्त भू–अभिलेख को प्रेषित किया जाय।
- कार्य योजना में ही संयुक्त सर्वेक्षण दल, वन व्यवस्थापन अधिकारियों का भी विवरण दिया जाय।

राजस्व नक्शें में वन सीमा लाइन का अंकन:–

- जिन वर्षो में किसी ग्राम की भूमि का प्रस्तावित वन, आरक्षित वन या संरक्षित वन क्षेत्र की अधिसूचनां जारी हुई है, उन वर्षो के पटवारी नक्शें पर या उन वर्षो के पटवारी नक्शों जिस बन्दोबस्तं वर्ष के दौरान तैयार किये गए है, उस बन्दोबस्त नक्श्कों की अनुरेखित प्रति पर कार्यालय में ही वन सीमा लाइन का अंकन कार्य कर लिया जाय। जैसा कि उपर की कंडिकाओं में उल्लेख किया गया है कि ग्रामवार तथा स्थिति निम्न चार प्रकार की वन सीमा लाइन अंकित की जाएगी :–
  - प्रस्तावित वन सीमा लाइन (वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी अधिसूचना के आधार पर)
  - आरक्षित वन सीमा लाइन (वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी अधिसूचना के आधार पर)
  - संरक्षित वन सीमा लाइन (वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी अधिसूचना के आधार पर)
  - अन्य वन क्षेत्र (नारंगी क्षेत्र, परिभाषित वन, आदि)

वन–राजस्व भूमि का सीमांकन तथा वन–राजस्व अभिलेखों का संधारण:–

- उपरोक्तानुसार राजस्व नक्शे में वन–राजस्व सीमा लाइन अंकन के पश्चात स्थल सर्वेक्षण/ सीमांकन कर स्थल पर वन सीमा लाइन का निर्धारण किया जाय।
- स्थल पर वन–राजस्व सीमा लाइन निर्धारण पश्चात मुनारों का निर्माण तथा वन एवं राजस्व नक्शों में इनका प्रतिस्थापन।

(6)

उपरोक्तानुसार संधारित राजस्व नक्शे का वन विभाग तथा राजस्व विभाग के संयुक्त सर्वेक्षण दल के प्रभारी जो क्रमशः रेंजर तथा तहसीलदार स्तर से निम्न स्तर के नहीं होंगे, द्वारा प्रमाणित किया जावेगा जिसका अभिप्रमाणन वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

- उक्त राजस्व नक्शे दो प्रतियों में तैयार करायी जायेगी जो उपरोक्तानुसार ही प्रमाणित/ अभिप्रमाणित की जायेगी। इसकी एक प्रति जिला अभिलेखागार तथा दूसरी प्रति वन विभाग के अभिलेखागार में रखी जायेगी।
- उक्त राजस्व नक्शे के आधार पर ही चालू पटवारी नक्शे में भी वन सीमा लाइन का अंकन किया जाकर उपरोक्तानुसार ही प्रमाणित किया जायेगा।
- ग्राम नक्शे में वन सीमा लाइन निर्धारण के पश्चात वन सीमा लाइन के अंदर पाये जाने वाले समस्त कृषि पट्टे, उत्खनन पट्टे तथा आवासीय पट्टों को विधि एवं प्रक्रियानुसार तत्काल निरस्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
- ग्रामवार मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के नाम से पृथक अधिकार अभिलेख भी संधारित की जाय जो संबंधित वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा प्रमाणित होगी। इसके आधार पर चालू वर्ष के खसरा में वन विभाग से संबंधित भूमियों की खसरा नंबरवार प्रविष्टी की जाय तथा तदनुसार बी–1 भी संधारित की जाय।
- राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य से वन सीमा लाइन के अंदर किसी भी प्रकार के पट्टो का बंटन न किया जाय।

संयुक्त सर्वेक्षण दलों का गठनः–

- वन–राजस्व सीमा विवाद निराकरण की समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के लिए प्रत्येक जिलें में आवश्यकतानुसार एक या दो दस सदस्यीय दल का गठन किया जाय जिसमें वन तथा राजस्व विभाग के 5–5 कर्मचारी होंगे। प्रत्येक दल में राजस्व विभाग के 4 राजस्व निरीक्षक, एक अनुरेखक तथा वन विभाग से 4 सहायक वन क्षेत्राधिकारी एवं एक मानचित्रकार/ अनुरेखक रहेंगे। इसके अतिरिक्त इस दल में संबंधित ग्राम का पटवारी तथा संबंधित वन क्षेत्र का बीट गार्ड भी सहयोग के लिए रहेंगे।
- राजस्व विभाग की ओर से दल का नेतृत्व अधीक्षक भू–अभिलेख/ सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख स्तर के अधिकारी करेंगे तथा वन विभाग की ओर से संबंधित वन खण्ड/ वन परिक्षेत्र के रेंजर स्तर के अधिकारी करेंगे।
- सर्वेक्षण दल सर्वेक्षण/ सीमांकन की प्रक्रिया में उपरोक्त वर्णित कण्डिकाओं के अनुसार या क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप विधि एवं प्रक्रियानुसार जो भी आवश्यक अभिलेख तथा नक्शा तैयार करेगा उसका अभिप्रमाणन संबंधित वन व्यवस्थापन द्वारा किया जायेगा।
- प्रत्येक जिले में वन राजस्व क्षेत्र सीमांकन/ सर्वेक्षण की कार्यवाही कलेक्टर एवं वन मंडलाधिकारी के संयुक्त पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण एवं नियंत्रण में कार्य करेगा।

(7)

कार्य प्रगति की समीक्षा:–

- प्रश्नाधीन कार्य की समीक्षा जिला स्तर पर प्रति माह संयुक्त रूप से कलेक्टर एवं वन मण्डलाधिकारी द्वारा किया जाय तथा शासन द्वारा निर्धारित प्रगति पत्रक प्रारूप में प्रति माह की कार्य प्रगति की एक प्रति संभागीय आयुक्त तथा आयुक्त भू–अभिलेख को प्रेषित की जाय।
- संभागीय आयुक्त तथा मुख्य वन संरक्षक द्वारा उनके क्षेत्रान्तर्गत समस्त जिलों के कार्य प्रगति की समीक्षा भी प्रति माह की जाय तथा कार्य प्रगति की एक–एक प्रति प्रमुख सचिव, वन/ राजस्व तथा आयुक्त भू–अभिलेख को प्रेषित की जाय।
- उपरोक्तनुसार प्राप्त जानकारी के आधार पर आयुक्त भू–अभिलेख द्वारा प्रदेश की कार्य प्रगति संकलित की जाकर शासन को प्रति माह प्रेषित की जायेगी।

वन–राजस्व भूमि सीमांकन प्रतिवेदन:–

- वन–राजस्व भूमि सीमांकन की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर लिये जाने के उपरांत इस संबंध में एक तथ्यात्मक प्रतिवेदन जिसमें जिले का सम्पूर्ण वन क्षेत्रों का संक्षिप्त विवरण, भूमि सीमांकन तथा विवादों के निराकरण के संबंध में की गई कार्यवाही के विवरण समाहित हों, कलेक्टर/ वन मण्डलाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से तैयार किया जाय। उक्त प्रतिवेदन की एक–एक प्रति संबंधित जिलों में, एक–एक प्रति संभागीय स्तर कार्यालयों, एक प्रति आयुक्त भू–अभिलेख कार्यालय तथा एक–एक प्रति वन तथा राजस्व विभाग में रखी जाय।

आयुक्त
भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त
मध्य प्रदेश